रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 02] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 1, 2016/पौष 11, 1937
No. 02] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 1, 2016/ PAUSA 11 , 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2016

का.आ. 2(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क स्कन्ध) की अधिसूचना संख्या का.आ. 465 (अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 के 0.000 कि.मी.–310.000 कि.मी., (पूर्णिया–फोरबेसगंज–झंझारपुर–दरभंगा–मुजफ्फरपुर सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम (3) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित अधिसूचनाओं के तहत, प्राधिकरण को बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 के 0.000 कि.मी. से 287.860 कि.मी. तक मुजफ्फरपुर–दरभंगा–पूर्णिया सेक्शन के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क को उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत करने हेतु प्राधिकृत किया हैः

क्रम सं.	खण्ड	के द्वारा प्रकाशित शुल्क अधिसूचना
1.	0.000 कि.मी. से 69.500 कि.मी. तक	का.आ.1327 (अ), तारीख 07.06.2011, जिसे तारीख 26.03.2014 की का.आ. सं. 896 (अ) के क्रम संख्या 18 द्वारा संशोधित किया गया था
2.	69.500 कि.मी. से 148.550 कि.मी.	का.आ.349(अ), तारीख 29.02.2012, जिसे तारीख 26.03.2014 की का.आ.सं. 896(अ) के क्रम संख्या 19 द्वारा संशोधित किया गया था
3.	नया चैनेज 148.550 कि.मी. से 208.650 कि.मी. (डिजाइन चैनेज 145.646 कि.मी. से 230.000 कि.मी. तक)	का.आ. सं. 2646(अ), तारीख 15.10.2014
4.	230.790 कि.मी. से 310.000 कि.मी. तक	का.आ. 696(अ), तारीख 06.04.2011, जिसे तारीख 26.03.2014 की का.आ. सं. 896(अ) के क्रम संख्या 21 द्वारा संशोधित किया गया था

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण आधार पर बिहार राज्य में रारा–57 के मुजफ्फरपुर–दरभंगा–पूर्णिया सेक्शन (0.000 कि.मी. से 148.550 कि.मी. तक, 148.550 कि.मी. से 159.357 कि.मी. तक और 159.357 कि.मी. से 287.860 कि.मी. तक के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु 21.03.2014 को प्रस्तुत की गई बोलियों के लिए, मैसर्स एसएमएस–एएबीएस इंडिया टॉलवेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 3/3, साउथ तुकोगंज, गोकुलदास अस्पताल के पास, इन्दौर–452001, मध्य प्रदेश में है (जिसे इसमें

इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है) के साथ 08.09.2014 को करार किया है और 26.06.2015 को अनुपूरक करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है):

और यतः, तारीख 26.06.2015 के अनुपूरक करार के तहत खण्ड को 0.000 कि.मी. से 145.646 कि.मी. तक, 145.646 कि.मी. से 156.456 कि.मी. तक तथा 156.456 कि.मी. से 285.007 कि.मी. तक आशोधित किया गया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है)।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, जिन्हें सा.का.नि. 838(अ), तारीख 05 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था और बोली प्रस्तुत किए जाने की तारीख तक इसमें किए गए संशोधनों सहित (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या का.आ. 505(अ), तारीख 13.02.2015 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाए उन बातों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले कर लिया गया हो अथवा करने से लोप करा दिया गया हो, उक्त खण्ड के अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि फिलहाल सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 228.994 कि.मी. के लिए और 3.55 कि.मी. की अपूर्ण लम्बाई को पूरा कर लिए जाने के पश्चात् सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 232.376 कि.मी. के लिए [संरचना की लम्बाई 5.682 कि.मी. को छोड़कर (जिसकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है और जिसमें अपूर्ण संरचना भी शामिल है) जिसकी समकक्ष लम्बाई 56.82 कि.मी. है] सारणी 1 में विनिर्दिष्ट प्रकार के यांत्रिक वाहनों पर चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग हेतु नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''आधार दर'' संदर्भित किया गया है) और बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 के मुजफ्फरपुर–दरभंगा–पुर्णिया सेक्शन (0.000 कि.मी. से 145.646 कि.मी. तक, 145.646 कि.मी. से 156.456 कि.मी. तक और 156.456 कि.मी. से 285.007 कि.मी. तक पर 08 बाइपासों के उपयोग के लिए, जिनकी लम्बाई 46.95 कि.मी. है, नीचे सारणी–1 के 1.5 गुना के हिसाब से शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को उक्त खण्ड के उपयोग के लिए प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, करार में यथाविनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक उक्त शुल्क को संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है:

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर, ऐसे प्रत्येक टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु, शोध्य और संदेय होगा:

क्रम सं.	टोल प्लाजाओं का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
1.	26.200 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज (26.200 कि.मी. पर डिजाइन चैनेज) मुजफ्फरपुर जिले में मैथी गांव के पास (0.000 कि.मी. से 69.500 कि.मी. तक)	50.844 कि.मी. (मुजफ्फरपुर बाइपास की 9.4375 कि.मी. की लम्बाई, दरभंगा बाइपास की 7.06725 कि.मी. लम्बाई और बड़े पुलों की 2.15171 कि.मी. लम्बाई को छोड़कर)
2.	88.000 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज (88.755 कि.मी. पर, डिजाइन चैनेज) दरभंगा जिले में राजे गांव के पास (69.500 कि.मी. से 145.646 कि.मी. तक)	50.054 कि.मी. (दरभंगा बाइपास की 1.845 कि.मी. लम्बाई, तारसराय–मुरिया बाइपास को 5.850 कि.मी. लम्बाई, मानीगाछी बाइपास की 3.500 कि.मी. लम्बाई, सरसोपाही बाइपास की 3.760 कि.मी. लम्बाई, झंझारपुर बाइपास की 10.44 कि.मी. लम्बाई और बड़े पुलों की 0.697 कि.मी. लम्बाई को छोड़कर)
3.	150.390 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज (147.486 कि.मी. पर, डिजाइन चैनेज) सुपौल जिले में आसानपुर गांव के पास 145.646 कि.मी. से 156.456 कि.मी. तक (बीओटी वार्षिक सेक्शन) और 156.456 कि.मी से 195.956 कि.मी. तक (ओएमटी सेक्शन)	45.273 कि.मी.* (बीओटी वार्षिकी सेक्शन की लम्बाई 8.932 कि.मी. और ओएमटी सेक्शन की लम्बाई 36.341 कि.मी. को शामिल करके) तथा (प्रतापगंज बाइपास की लम्बाई 2.60 कि.मी., बड़ी संरचनाओं की लम्बाई 0.475 कि.मी. कोसी पुल की लम्बाई 1.875 कि.मी. (बीओटी वार्षिकी सेक्शन) को छोड़कर और 0.087 कि.मी. अधूरे आरओबी को छोड़कर एवं आरओबी खण्ड को छोड़कर 1.063 कि.मी. अधूरे खण्ड

		सहित)
4.	244.860 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज (242.007 कि.मी. पर, डिजाइन चैनेज) अररिया जिले में हरियाबाड़ा गांव के पास (195.956 कि.मी. से 285.007 कि.मी. तक)	86.205 कि.मी.* (फोरबेसगंज बाइपास की लम्बाई 2.45 कि.मी., बड़े पुलों की लम्बाई 0.225 कि.मी.,पूरे कर लिए गए आरओबी की लम्बाई 0.090 कि.मी. को छोड़कर और 0.081 कि.मी. के अधूरे आरओबी को छोड़कर तथा आरओबी खण्ड को छोड़कर 2.319 कि.मी. अधूरे खण्ड सहित)
	सड़क की कुल निवल लम्बाई	232.376 कि.मी.

* अथवा पूरी कर ली गई तथा रियायतग्राही को सौंप दी गई वास्तविक लम्बाई

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, 10 करोड़ रुपए या अधिक की लागत वाले निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों) के उपयोग हेतु, टोल प्लाजाओं पर, ऐसे टोल प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की लम्बाई के लिए, आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

क्रम सं.	टोल प्लाजा (ओं) का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास का नाम	बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है
1.	26.200 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज (26.200 कि.मी. पर डिजाइन चैनेज) मुजफ्फरपुर जिले में मैथी गांव के पास (0.000 कि.मी. से 69.500 कि.मी. तक)	मुजफ्फरपुर डिजाइन चैनेज 0.00 कि.मी. से 9.900 कि.मी. तक (विद्यमान चैनेज 0.00 कि.मी. से 9.900 कि.मी. तक)	9.4375
		दरभंगा डिजाइन चैनेज 62.800 से 72.100 कि.मी. तक (विद्यमान चैनेज 62.045 कि.मी. से 71.345 कि.मी. तक)	7.06725
2.	88.000 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज (88.755 कि.मी. पर, डिजाइन चैनेज) दरभंगा जिले में राजे गांव के पास (69.500 कि.मी. से 145.646 कि.मी. तक)	दरभंगा डिजाइन चैनेज 62.800 कि.मी. से 72.100 कि.मी. तक (विद्यमान चैनेज 62.045 कि.मी. से 71.345 कि.मी. तक)	1.845
		तारसराय—मुरिया डिजाइन चैनेज 73.800 कि.मी. से 79.650 कि.मी. तक (विद्यमान चैनेज 73.045 कि.मी. से 78.895 कि.मी. तक)	5.85
		मनिगाछी डिजाइन चैनेज 84.800 कि.मी. से 88.300 कि.मी. तक (विद्यमान चैनेज 84.045 कि.मी. से 87.545 कि.मी. तक)	3.50
		सरसोपाही डिजाइन चैनेज 90.200 कि.मी. से 93.960 कि.मी. तक (विद्यमान चैनेज 89.445 कि.मी. से 93.205 कि.मी. तक)	3.76
		झंझारपुर डिजाइन चैनेज 96.580 कि.मी. से 107.260 कि.मी. तक (विद्यमान चैनेज 95.825 कि.मी. से 106.505 कि.मी. तक)	10.44
3.	150.390 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज (147.486 कि.मी. पर, डिजाइन चैनेज) सुपौल जिले में आसानपुर गांव के पास 145.646 कि.मी. से 156.456 कि.मी. तक (बीओटी वार्षिक सेक्शन) और 156.456 कि.मी से 195.956 कि.मी. तक (ओएमटी सेक्शन)	प्रतापगंज डिजाइन चैनेज 184.260 कि.मी. से 186.860 कि.मी. तक (विद्यमान चैनेज 202.756 कि.मी. से 208.305 कि.मी. तक)	2.60
4.	244.860 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज (242.007 कि.मी. पर, डिजाइन चैनेज) अररिया जिले में हरियाबाड़ा गांव के पास (195.956 कि.मी. से 285.007 कि.मी. तक)	फोरबेसगंज डिजाइन चैनेज 214.760 कि.मी. से 217.2100 कि.मी. तक (विद्यमान चैनेज 236.900 कि.मी. से 239.350 कि.मी. तक)	2.45
	बाइपासों की कुल लम्बाई		46.94975

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, स्थायी पुल (पुलों) और/अथवा 60 मीटर या इससे अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं जैसा कि नीचे विनिर्दिष्ट किया गया है, जैसा भी मामला हो, के लिए नीचे उद्ग्रहीत और संग्रहीत शुल्क भी निम्नलिखित टोल प्लाजा (ओं) पर भी शोध्य और संदेय होगा।

क्रम सं.	टोल प्लाजाओं का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी.में) (आंकड़ो को 3 अंको तक पूर्णांकित किया गया है)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
1.	26.200 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज (26.200 कि.मी. पर डिजाइन चैनेज) मुजफ्फरपुर जिले में मैथी गांव के पास (0.000 कि.मी. से 69.500 कि.मी. तक)	2.152	21.52	ऊपर सारणी–1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
2.	88.000 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज (88.755 कि.मी. पर, डिजाइन चैनेज) दरभंगा जिले में राजे गांव के पास (69.500 कि.मी. से 145.646 कि.मी. तक)	0.697	6.97	
3.	150.390 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज (147.486 कि.मी. पर, डिजाइन चैनेज) सुपौल जिले में आसानपुर गांव के पास 145.646 कि.मी. से 156.456 कि.मी. तक (बीओटी वार्षिक सेक्शन) और 156.456 कि.मी से 195.956 कि.मी. तक (ओएमटी सेक्शन)	2.437	24.37	
4.	244.860 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज (242.007 कि.मी. पर, डिजाइन चैनेज) अररिया जिले में हरियाबाड़ा गांव के पास (195.956 कि.मी. से 285.007 कि.मी. तक)	0.396	3.96	
	कुल	**5.682**	**56.82**	

60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली संरचनाओं का ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है:

क्रम सं.	टोल प्लाजाओं का अवस्थान (चैनेज)	संरचना का स्वरूप	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी.में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)
1.	26.200 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज (26.200 कि.मी. पर डिजाइन चैनेज) मुजफ्फरपुर जिले में मैथी गांव के पास (0.000 कि.मी. से 69.500 कि.मी. तक)	बड़ा पुल (चैनेज 1.375)	0.061	0.610
		बड़ा पुल (चैनेज 3.800)	0.310	3.10
		बड़ा पुल (चैनेज 5.495)	.09150	0.915
		बड़ा पुल (चैनेज 28.285)	0.13229	1.3229
		बड़ा पुल (चैनेज 29.515)	0.09380	0.938
		बड़ा पुल (चैनेज 32.600)	0.08040	0.804
		बड़ा पुल (चैनेज 33.300)	0.08040	0.804
		बड़ा पुल (चैनेज 37.650)	0.12739	1.2739
		बड़ा पुल (चैनेज 40.250)	0.1032	1.032
		बड़ा पुल (चैनेज 41.260)	0.0804	0.804
		बड़ा पुल (चैनेज 42.758)	0.066	0.66
		बड़ा पुल (चैनेज 43.204)	0.1042	1.042
		बड़ा पुल (चैनेज 45.404)	0.066	0.66
		बड़ा पुल (चैनेज 50.000)	0.066	0.66
		बड़ा पुल (चैनेज 54.876)	0.13908	1.3908
		बड़ा पुल (चैनेज 56.837)	0.0804	0.804
		बड़ा पुल (चैनेज 59.120)	0.0819	0.819

IndiaCode

		बड़ा पुल (चैनेज 64.400)	0.1551	1.551
		बड़ा पुल (चैनेज 66.987)	0.07755	0.7755
		बड़ा पुल (चैनेज 67.838)	0.07755	0.7755
		बड़ा पुल (चैनेज 68.825)	0.07755	0.7755
		कुल	**2.15171**	**21.5171**
2.	88.000 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज (88.755 कि.मी. पर, डिजाइन चैनेज) दरभंगा जिले में राजे गांव के पास (69.500 कि.मी. से 145.646 कि.मी. तक)	बड़ा पुल (चैनेज 94.730)	0.078	0.78
		बड़ा पुल (चैनेज 104.474)	0.240	2.40
		बड़ा पुल (चैनेज 135.350)	0.30720	3.072
		बड़ा पुल (चैनेज 144.680)	0.072	0.72
		कुल	**0.6972**	**6.972**
3.	150.390 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज (147.486 कि.मी. पर, डिजाइन चैनेज) सुपौल जिले में आसानपुर गांव के पास 145.646 कि.मी. से 156.456 कि.मी. तक (बीओटी वार्षिक सेक्शन) और 156.456 कि.मी से 195.956 कि.मी. तक (ओएमटी सेक्शन)	बड़ा पुल (चैनेज 180.536)	0.150	1.50
		बड़ा पुल (चैनेज 189.143)	0.100	1.00
		कोसी पुल (चैनेज 152.702)	1.875	18.75
		आरओबी (चैनेज 190.906)	0.087	0.87
		बड़ा पुल (चैनेज 192.133)	0.100	1.00
		बड़ा पुल (चैनेज 197.351)	0.125	1.25
		कुल	2.437	24.37
4.	244.860 कि.मी. पर, विद्यमान चैनेज (242.007 कि.मी. पर, डिजाइन चैनेज) अररिया जिले में हरियाबाड़ा गांव के पास (195.956 कि.मी. से 285.007 कि.मी. तक)	बड़ा पुल (चैनेज 250.371)	0.07368	0.7368
		बड़ा पुल (चैनेज 280.819)	0.06747	0.6747
		बड़ा पुल (चैनेज 285.71)	0.08432	0.8432
		आरओबी (चैनेज 202.432)	0.081	0.81
		आरओबी (चैनेज 215.601)	0.090	0.90
		कुल	**0.39647**	**3.9647**

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2014–15 के लिए मासिक पास की दर 225.00 रुपए (दो सौ पच्चीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें हर वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास अथवा अधिक यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास अथवा अधिक	संदाय की समय से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार से लदे हुए उस वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेश कराने के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसे यांत्रिक वाहन की श्रेणी के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट–प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

10. ऊपर सारणी–1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और तत्पश्चात् ओएमटी रियायतग्राही के माध्यम से उक्त नियमों के नियम 5 तथा रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा प्रकाशित किया जाएगा, परन्त शर्त यह है कि शुल्क में पिछली बार किए गए संशोधन की तारीख से 6 (छह) महीने तक ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

11.. वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से परियोजना की वसूल की जाने वाली वर्तमान पूंजीगत लागत 19.07.2015 की स्थिति के अनुसार 3,905.35 करोड़ रुपए (तीन हजार नौ सौ पांच करोड़ पैंतीस लाख रुपए मात्र) है। वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से, टोल का संग्रहण रियायतग्राही द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के अधीन की गयी व्यवस्था के अनुसार लागू दरों पर तथा बोली की नियत तारीख तक उसमें किए गए संशोधन तक किया जाएगा। पूंजीगत लागत की वसूली रियायत शुल्क के माध्यम से वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को एनपीवी निकालने हेतु 12% प्रतिवर्ष की दर से छूट देते हुए की जाएगी। जिस दिन पूंजीगत लागत की वसूली हो जाएगी उस दिन टोल दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा। रियायत शुल्क को भी घटाकर देय राशि का 40% कर दिया जाएगा और खण्ड 21.1.1 के अनुसार 10% की वार्षिक वृद्धि भी लागू होगी।

12. यदि किसी कारण से वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को पहले कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है तो वसूल की जाने वाली पूंजीगत लागत का फिर से हिसाब लगाया जाएगा और इसके बारे में इंजीनियर/स्वतंत्र इंजीनियरों द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन की वास्वविक तारीख के बाद 30 दिनों के अन्दर रियायतग्राही को सूचित किया जाएगा।

13. प्रयोक्ता–शुल्क की दरों में राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) दूसरा संशोधन, नियम, 2011 के प्रारम्भ होने के बाद, ऐसे प्रारम्भ होने के बाद, ऐसे प्रारम्भ के तत्काल पहले लागू शुल्क की दरों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी और आगे वार्षिक वृद्धि किसी भी हालत में इसके तत्काल पहले के वर्ष में लागू दरों के 25% से अधिक नहीं होगी।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/680/सीओ/14–15/जीसी/ मुजफ्फरपुर (0.000–285.007) ओएमटी]

नीरज वर्मा, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi the 1st January, 2016

S.O. 2(E).—Whereas, vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing), number S.O. 465(E), dated the 26th April, 2002, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km. 0.000 – Km. 310.000 (Purnea-Forbesganj-Jhanjharpur-Darbhanga-Muzaffarpur Section) of National Highway number 57 in the State of Bihar to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority) ;

And Whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) read with the Rule (3) of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government by notification of the Government of India vide following notifications has authorized Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for use of Muzzaffarpur-Dharbhanga-Purnea section from Km. 0.000 to Km. 287.860 of National Highway number 57 in the State of Bihar:

S. No.	Stretch	Fee notification published vide
1	km. 0.000 to km 69.500	S.O. 1327(E) dated 07.06.2011 amended vide Sl. No. 18 of S.O. No. 896(E) dated 26.03.2014
2	Km 69.500 to km148.550	S.O. 349(E) dated 29.02.2012 amended vide Sl. No. 19 of S.O. No. 896(E) dated 26.03.2014
3	New chainage Km. 148.550 to km 208.650 (design chainage km.145.646 to km. 230.000)	S.O. No. 2646(E) dated 15.10.2014
4	Km 230.790 to km 310.000	S.O. 696(E) dated 06.04.2011 amended vide Sl. No. 21 of S.O. No. 896(E) dated 26.03.2014

And Whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an agreement on 08.09.2014 and Supplementary Agreement dated 26.06.2015 (hereinafter referred to as said agreement) with M/s SMS-AABS India Tollways Pvt. Ltd. having its registered office at 3/3, South Tukoganj, near Gokuldas Hospital, Indore, 452001, Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for bids submitted on 21.03.2014 for the Operation and Maintenance of Muzaffarpur-

Darbhanga-Purnea section (from Km. 0.000 to Km. 148.550, Km.148.550 to Km. 159.357 and Km. 159.357 to Km. 287.860) of NH-57 in the state of Bihar on Operation, Maintenance and Transfer (OMT) basis;

And Whereas, vide the Supplementary Agreement dated 26.06.2015, the section has been modified to Km. 0.000 to Km. 145.646, Km. 145.646 to Km. 156.456 and Km. 156.456 to Km. 285.007 (hereinafter referred to as the "said section").

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and its amendment till bid submission date (hereinafter referred to as the "Rules") and in supersession of the notification S.O. 505 (E) dated 13.02.2015, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles, specified in Table 1 for net road section length of 228.994 Km. for the time being and 232.376 Km. net road section length after completion of the incomplete 3.55 Km. length {excluding 5.682 Km. of structure (having length more than 60 m including incomplete structure) with equivalent length of 56.82 Km.} (hereinafter referred to as "base rate") for use of the four and more lane sections on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below and 08 bypasses having a length of 46.95 Km. for 1.5 times of Table-1 below for the use of Muzaffarpur-Darbhanga-Purnea section (from Km. 0.000 to Km. 145.646, Km.145.646 to Km. 156.456 and Km. 156.456 to Km. 285.007) of National Highway number 57 in the State of Bihar and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee for the use of the said section on and from the date of commercial operation declared by the Authority or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

Table 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for each such Toll Plaza:

S. No.	**Location of Toll Plaza (chainage)**	**Length (in Km.) for which Fee is payable**
1	At km 26.200, existing chainage (at Km. 26.200, design chainage) near village Maithi in Dist. Muzaffarpur (Km. 0.000 to Km. 69.500)	50.844 Km. (excluding 9.4375 Km. length of Muzaffarpur Bypass , 7.06725 Km. length of Darbhanga Bypass and 2.15171 Km. length of Major Bridges,)
2	At km 88.000, existing chainage (at Km. 88.755, design chainage) near village Raje in Dist. Darbhanga (Km. 69.500 to Km. 145.646)	50.054 Km. (excluding 1.845 Km. length of Darbhanga Bypass, 5.850 Km. length of Tarsarai-Muria Bypass, 3.500 Km. length of Manigacchi bypass, 3.760 Km. length of Sarasopahi bypass , 10.44 Km. length of Jhanjharpur bypass and 0.697 Km. length of Major Bridges)
3	At km 150.390, existing chainage (at Km. 147.486, design chainage) near village Asanpur in Dist. Supaul Km. 145.646 to Km. 156.456 (BOT Annuity Section) and Km. 156.456 to Km. 195.956(OMT Section)	45.273 Km.* (including 8.932 Km length of BOT Annuity Section & 36.341 Km. length of OMT Section) and (excluding 2.60 Km. length of Pratapganj Bypass, 0.475 Km. length of Major Structures, 1.875 Km. length of Kosi Bridge (BOT Annuity Section) and excluding incomplete ROB of 0.087 Km. & including 1.063 Km. incomplete stretch except ROB Span)

IndiaCode

4	At km 244.860, existing chainage (at km. 242.007, design chainage) near village Hariabara in Dist. Araria (Km. 195.956 to Km. 285.007)	86.205 Km.* (excluding 2.45 Km. length of Forbesgunj Bypass, 0.225 Km. length of Major Bridges, 0.090 Km. length of completed ROB and excluding incomplete ROB of 0.081 Km. & including 2.319 Km. incomplete stretch except ROB Span)
	Total net road length	232.376 Km.

*or the actual length completed and handed over to the concessionaire.

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) costing Rs 10 crore or more at the following Toll Plazas at one and half times the base rate for the length of bypasses specified for such Toll Plazas:

S. No.	Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Name of the Bypass	Length of bypass (in km) for which additional fee is payable
1	At km 26.200, existing chainage (at Km. 26.200, design chainage) near village Maithi in Dist. Muzaffarpur (Km. 0.000 to Km. 69.500)	Muzaffarpur Design Chainage km. 0.00 to Km. 9.900 (Existing chainage Km. 0.00 to Km. 9.900)	9.4375
		Darbhanga Design Chainage km. 62.800 to Km. 72.100 (Existing chainage Km. 62.045 to km. 71.345)	7.06725
2	At km 88.000, existing chainage (at Km. 88.755, design chainage) near village Raje in Dist. Darbhanga (Km. 69.500 to Km. 145.646)	Darbhanga Design Chainage km. 62.800 to Km. 72.100 (Existing chainage Km. 62.045 to km. 71.345)	1.845
		Tarsarai-Muria Design Chainage km. 73.800 to Km. 79.650 (Existing chainage Km. 73.045 to km. 78.895)	5.85
		Manigacchi Design Chainage km. 84.800 to Km. 88.300 (Existing chainage Km. 84.045 to km. 87.545)	3.50
		Sarasopahi Design Chainage km. 90.200 to Km. 93.960 (Existing chainage Km. 89.445 to km. 93.205)	3.76
		Jhanjhapur Design Chainage km. 96.580 to Km. 107.260 (Existing chainage Km. 95.825 to km. 106.505)	10.44
3	At km 150.390, existing chainage (at Km. 147.486, design chainage) near village Asanpur in Dist. Supaul Km. 145.646 to Km. 156.456 (BOT Annuity Section) and Km. 156.456 to Km. 195.956(OMT Section)	Pratapganj Design Chainage km. 184.260 to Km. 186.860 (Existing chainage Km. 202.756 to km. 208.305)	2.60
4	At km 244.860, existing chainage (at km. 242.007, design chainage) near village Hariabara in Dist. Araria (Km. 195.956 to Km. 285.007)	Forbesgunj Design Chainage km. 214.760 to Km. 217.210 (Existing chainage Km. 236.900 to km. 239.350)	2.45
	Total length of Bypasses		46.94975

3. In addition to the above, the fee levied and collected hereunder for the permanent bridge (s) and /or Structures, as the case may be, having length of 60m or more as specified below shall be due and payable at the following Toll Plaza(s):

S. No.	Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length (Figures rounded to 3 digits)	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
1.	At km 26.200, existing chainage (at Km. 26.200, design chainage) near village Maithi in Dist. Muzaffarpur (Km. 0.000 to Km. 69.500)	2.152	21.52	100% of the base rates mentioned in Table 1 above

2	At km 88.000, existing chainage (at Km. 88.755, design chainage) near village Raje in Dist. Darbhanga (Km. 69.500 to Km. 145.646)	0.697	6.97	
3.	At km 150.390, existing chainage (at Km. 147.486, design chainage) near village Asanpur in Dist. Supaul Km. 145.646 to Km. 156.456 (BOT Annuity Section) and Km. 156.456 to Km. 195.956(OMT Section)	2.437	24.37	
4	At km 244.860, existing chainage (at km. 242.007, design chainage) near village Hariabara in Dist. Araria (Km. 195.956 to Km. 285.007)	0.396	3.96	
	Total	**5.682**	**56.82**	

Details of structures of length >60 m is as under:

S. No.	Location of Toll Plaza (chainage)	Nature of Structure	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)
1.	At km 26.200, existing chainage (at Km. 26.200, design chainage) near village Maithi in Dist. Muzaffarpur (Km. 0.000 to Km. 69.500)	Major Bridge (chainage 1.375)	0.061	0.610
		Major Bridge (chainage 3.800)	0.310	3.10
		Major Bridge (chainage 5.495)	.09150	0.915
		Major Bridge (chainage 28.285)	0.13229	1.3229
		Major Bridge (chainage 29.515)	0.09380	0.938
		Major Bridge (chainage 32.600)	0.08040	0.804
		Major Bridge (chainage 33.300)	0.08040	0.804
		Major Bridge (chainage 37.650)	0.12739	1.2739
		Major Bridge (chainage 40.250)	0.1032	1.032
		Major Bridge (chainage 41.260)	0.0804	0.804
		Major Bridge (chainage 42.758)	0.066	0.66
		Major Bridge (chainage 43.204)	0.1042	1.042
		Major Bridge (chainage 45.404)	0.066	0.66
		Major Bridge (chainage 50.000)	0.066	0.66
		Major Bridge (chainage 54.876)	0.13908	1.3908
		Major Bridge (chainage 56.837)	0.0804	0.804
		Major Bridge (chainage 59.120)	0.0819	0.819
		Major Bridge (chainage 64.400)	0.1551	1.551

IndiaCode

		Major Bridge (chainage 66.987)	0.07755	0.7755
		Major Bridge (chainage 67.838)	0.07755	0.7755
		Major Bridge (chainage 68.825)	0.07755	0.7755
		Total	**2.15171**	**21.5171**
2	At km 88.000, existing chainage (at Km. 88.755, design chainage) near village Raje in Dist. Darbhanga (Km. 69.500 to Km. 145.646)	Major Bridge (chainage 94.730)	0.078	0.78
		Major Bridge (chainage 104.474)	0.240	2.40
		Major Bridge (chainage 135.350)	0.30720	3.072
		Major Bridge (chainage 144.680)	0.072	0.72
		Total	**0.6972**	**6.972**
3.	At km 150.390, existing chainage (at Km. 147.486, design chainage) near village Asanpur in Dist. Supaul Km. 145.646 to Km. 156.456 (BOT Annuity Section) and Km. 156.456 to Km. 195.956 (OMT Section)	Major Bridge (chainage 180.536)	0.150	1.50
		Major Bridge (chainage 189.143)	0.100	1.00
		Koshi Bridge (chainage 152.702)	1.875	18.75
		ROB (chainage 190.906)	0.087	0.87
		Major Bridge (chainage 192.133)	0.100	1.00
		Major Bridge (chainage 197.351)	0.125	1.25
		Total	**2.437**	**24.37**
4	At km 244.860, existing chainage (at km. 242.007, design chainage) near village Hariabara in Dist. Araria (Km. 195.956 to Km. 285.007)	Major Bridge (chainage 250.371)	0.07368	0.7368
		Major Bridge (chainage 280.819)	0.06747	0.6747
		Major Bridge (chainage 285.71)	0.08432	0.8432
		ROB (chainage 202.432)	0.081	0.81
		ROB (chainage 215.601)	0.090	0.90
		Total	0.39647	3.9647

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 225.00 (Rupees Two Hundred and Twenty-five only) for the year 2014-15, which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with Rule 12 of the said Rules.

10. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper, each in English and vernacular language through the Concessionaire and thereafter revised and got published annually through the OMT Concessionaire in accordance with the rule 5 of the said Rules and provisions of the Concession Agreement and will be published; provided, however, that such revision shall not be effected until a period of 6 (six) months from preceding revision of fee.

11. The Present Value of Capital Cost of the project to be recovered from the date of COD is Rs. 3,905.35 Crore (Rupees Three Thousand Nine Hundred five Crore and thirty-five Lac Only) as on 19.07.2015. From the Commercial Operation Date (COD) toll shall be collected by the Concessionaire at the applicable rates provided under the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and further amendments till bid due date. The Capital Cost shall be recovered through Concession Fee by discounting @ 12% per annum to arrive at NPV as on the date of commercial operation (COD). After the day on which the Capital Cost is recovered the toll rates chargeable shall be reduced to 40% of the rate being charged. The Concession Fee shall also be reduced to 40% of the amount payable and annual increment of 10% as per Clause 21.1.1 shall be applicable.

12. In case, due to any reason, COD is advanced/postponed, the capital Cost to be recovered shall be reworked and intimated to the concessionaire within 30 days after actual COD, by the Engineer/Independent Engineers.

13. User fee rates shall not be increased after the commencement of National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Second Amendment, Rules, 2011 by more than twenty-five percent of the rates of fee applicable immediately before such commencement and further annual increase shall in no case be more than 25% of the rate applicable in the immediately preceding year.

[F. No. NHAI/13013/680/CO/14-15/GC Muzzaffarpur (0.000-285.007) OMT]

NIRAJ VERMA, Jt Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.